//निर्णय//

(आज दिनांक 11/10/22 को घोषित।)

1. आरोपी को धारा–34 (अ) आबकारी अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर आरोपी ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध कारित करना स्वीकार किया है। उसका अभिवाक् लेखबद्ध किया गया।

2. आरोपी को जुर्म की स्वीकारोक्ति एवं अभियोजन के दस्तावेजों के आधार पर उसे धारा–34 (अ) आबकारी अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है।

3. दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के पूर्व दोषसिद्धि एवं आपराधिक इतिहास क़ा प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। अतः यह आरोपी का प्रथम अपराध है परिणामस्वरूप आरोपी से जब्तशुदा शराब की मात्र को दृष्टिगत रखते हुए उसे कठोर दंड से दंडित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

4. अतः आरोपी को धारा–34 (अ) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं रूपये 700/– /–शब्दो में सात सौ रूपया के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। आरोपी कुल 700/– रूपया जमा करेगा।आरोपी के द्वारा अर्थदंड की राशि जमा ना करने पर 15 का साधारण कारावास भुगताया जावे।

5. प्रकरण में जब्तशुदा शराब 06 पेटी कच्ची शराब नष्ट किया जावे

निर्णय पृथक से टंकित, हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया

सुनील अहिरवार
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी
जिला–डिण्डौरी

सुनील अहिरवार
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी
जिला–डिण्डौरी